

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2727
उत्तर देने की तारीख: 22.12.2021

केवीएस में विशेष वितरण दाखिला कोटा

2727 श्री हर्षवर्धन सिंह डुंगरपुर :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) केवीएस में दिनांक 12 जुलाई, 2012 को आयोजित बैठक में केवीएस के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा तय किए गए केवीएस में विशेष वितरण दाखिला कोटे की कवायद के मापदंडों का विवरण क्या है ;
- (ख) क्या विधि मंत्रालय ने इस ओर इंगित किया है कि यह प्रस्ताव दिल्ली उच्च न्यायालय के 17 नवम्बर, 1998 के आदेश के अनुरूप नहीं है;
- (ग) यदि हां, तो विधि मंत्रालय की आपत्ति को खारिज करने के पीछे मंत्रालय का क्या तर्क है; और
- (घ) क्या कोटा में वृद्धि के संशोधित दिशा-निर्देशों का शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 25 प्रतिशत आरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

उत्तर
शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केविस) के 93वें शासी बोर्ड (बीओजी) की दिनांक 12/07/2012 को हुई बैठक में दिए गए अनुमोदन के अनुसार, प्रत्येक माननीय संसद सदस्य योजना के तहत एक शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश हेतु 06 (छह) मामलों की सिफारिश कर सकता है, परन्तु ये सिफारिशें केवल उन बच्चों तक ही सीमित होंगी जिनके अभिभावक उनके निर्वाचन क्षेत्र के मूल निवासी अथवा हाल ही की तैनाती अथवा सेवा की आकस्मिकताओं के कारण,

उनके निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित हुए हों। ये सिफारिशें केवल उनके निर्वाचन क्षेत्र में स्थित केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए ही की जाएंगी। माननीय संसद सदस्य (लोक सभा) के निर्वाचन क्षेत्र में किसी केंद्रीय विद्यालय के न होने की स्थिति में, वे निकटवर्ती निर्वाचन क्षेत्र में स्थित केंद्रीय विद्यालय (केंद्रीय विद्यालयों) में इन दाखिलों की सिफारिश कर सकते हैं। राज्य सभा के सदस्यों के लिए, वह राज्य जिससे सदस्य को निर्वाचित किया गया है, इस प्रयोजनार्थ उनका निर्वाचन क्षेत्र माना जाएगा। राज्य सभा और लोक सभा के नामांकित सदस्य देश में स्थित किसी भी एक अथवा एक से अधिक केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए 06 (छः) मामलों की सिफारिश कर सकते हैं।

- i) ये दाखिले कक्षा की निर्धारित संख्या के अतिरिक्त होंगे।
- ii) ये सिफारिशें केवल कक्षा I से IX तक के लिए की जाएंगी।
- iii) ये दाखिले शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में किए जाएंगे और वर्ष की निर्धारित अंतिम तारीख के बाद कोई दाखिला नहीं किया जाएगा।
- iv) की जाने वाली सिफारिशें, केंद्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) द्वारा प्रत्येक संसद सदस्य को दिए गए निर्धारित प्ररूप में किए जाने पर ही मान्य होंगी। किसी अन्य प्ररूप / रीति से भेजी गई सिफारिशों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- v) माननीय संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित बच्चे केंद्रीय विद्यालय संगठन के मौजूदा दाखिला दिशानिर्देशों के अनुसार दाखिले के लिए अन्यथा भी पात्र होने चाहिए।

(ख) और (ग) : जी हां। केविसं को विधि और न्याय मंत्रालय की टिप्पणियों से 27.07.2011 को अवगत कराया गया था। तत्पश्चात् 16/05/2012 को लोकसभा में "केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2012" पर चर्चा के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसमें तत्कालीन माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री (अब माननीय शिक्षा मंत्री) ने सदन को आश्वासन दिया कि माननीय संसद सदस्य के विशेष वितरण दाखिला कोटे को 02 से बढ़ाकर 06 कर दिया जाएगा। तत्पश्चात्, केविसं के 93वें शासी बोर्ड ने 12/07/2012 को हुई अपनी बैठक में "केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए नामों की सिफारिश करने हेतु संसद सदस्यों के लिए विशेष वितरण छूट प्रवेश की नई योजना" नामक योजना को मंजूरी दी,

जिसके तहत प्रत्येक माननीय संसद सदस्य एक शैक्षणिक वर्ष में दाखिले के लिए 06 (छः) मामलों की सिफारिश कर सकता है। केविसं द्वारा 09.8.2012 को एक शपथ पत्र दाखिल करके माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय को भी इसके बारे में सूचित किया गया था।

(घ) यह विशेष वितरण दाखिला कोटा कक्षा क्षमता के अतिरिक्त और इसलिए "निः शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009" के तहत 25% आरक्षण पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EDUCATION
DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION & LITERACY**

RAJYA SABHA

**UNSTARRED QUESTION NO.2727
TO BE ANSWERED ON 22.12.2021**

Special dispensation admission quota in KVS

2727 SHRI HARSHVARDHAN SINGH DUNGARPUR:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

- (a) details of parameters of the exercise of the special dispensation admission quota in KVS as decided by Board of Governors of KVS in its meeting held on 12th July, 2012;
- (b) whether the Ministry of Law has pointed out that the proposal is not in conformity with the Delhi High Court order of November 17, 1998;
- (c) if so, contention of the Ministry in over-ruling the Ministry of Law's objection; and
- (d) whether revised guidelines of increase in the quota would have an adverse impact on 25 per cent reservation under the Right to Education Act, if so, details thereof?

ANSWER

**MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION
(SMT. ANNPURNA DEVI)**

- (a) As per the approval of the 93rd Board of Governors (BoG) of Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) in its meeting held on 12/07/2012, each Hon'ble Member of Parliament can recommend 06 (six) cases for admission under the Scheme in an academic year but such recommendations shall be confined to children whose parents belong to his constituency either by domicile or on account of having been soon-before posted there or else on account of exigencies of service, migrate to his constituency. Such recommendations would be for admissions in Kendriya Vidyalaya(s) (KVs) located in his constituency only. In case there is no KV in the constituency of the Hon'ble Member of Parliament (Lok Sabha), he/she may recommend these admissions in the KV(s) located in any neighbouring contiguous constituency. For Member of the Rajya Sabha, the State from which the member has been elected would be deemed to be his/her constituency for this purpose. Nominated members of the Rajya Sabha and Lok Sabha can recommend 06 (Six) cases for admission in any one or more KVs of the country.

- i) These admissions shall be over and above the class strength.
- ii) These recommendations would be made for classes I to IX only.
- iii) These admissions would be made at the beginning of the academic year and no admission would be allowed after the prescribed cut-off date of the year.
- iv) The recommendations to be made shall be valid only if these are made in the prescribed format provided to each Member of Parliament by KVS (HQ). Recommendations sent in any other format / manner shall not be considered.
- v) The children recommended by Hon'ble Members of Parliament must be otherwise eligible for admission as per the extant KVS Admission Guidelines.

(b) & (c) Yes, Sir. The observations of Ministry of Law and Justice were conveyed to KVS on 27.07.2011. Subsequently, the matter came up for discussion during the Motion for consideration of "The Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Amendment Bill, 2012" in Lok Sabha on 16/05/2012 wherein the then Hon'ble Human Resource Development Minister (now Hon'ble Minister of Education) assured the House that special dispensation admission quota of 02 admissions of Hon'ble MP would be enhanced to 06. Thereafter, 93rd BoG of KVS, in its meeting held on 12/07/2012, approved a scheme called the "New Scheme of Special Dispensation Admission for Members of Parliament for recommending names for admission in Kendriya Vidyalayas", under which each Hon'ble MP can recommend 06 (six) cases for admission in an academic year. This was also informed to Hon'ble High Court of Delhi by KVS by filing an Affidavit on 09.8.2012.

(d) This special dispensation quota is over and above the class strength and hence have no adverse impact on 25% reservation under "The Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009".
